

न्यायालय:-दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक 178 /C.J.M. /2025

उमरिया, दिनांक 24.03.2025

::रिमांड ड्यूटी::

मैं दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया म0प्र0 धारा 12 एवं 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा म0प्र0 दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उमरिया के लिए **माह अप्रैल** में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अवकाश के दिनों में निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ:-

क्र.	रिमाण्ड ड्यूटी की तारीख	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम
1	5 अप्रैल 2025	श्रीमती वीणा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
2	6 अप्रैल 2025	श्री मोहन डाबर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
3	18, 19 अप्रैल 2025	श्री आशीष धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
4	13, 14 अप्रैल	श्री राहुल सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
5	20 अप्रैल 2025	श्रीमती पल्लवी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
6	10, 27 अप्रैल 2025	श्री सरफराज खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
7	मानपुर न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त सभी अवकाश दिवसों में	श्री अपूर्व मेहरोत्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मानपुर
8	5, 6, 18, 19, 27 अप्रैल 2025	श्री गोपालनंदन पाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिरसिंहपुर पाली
9	10, 13, 14, 20 अप्रैल 2025	सुश्री पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिरसिंहपुर पाली

टीप:-

- न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर पश्चात 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में अपने कर्मचारियों के साथ उपस्थित होकर सम्पादित करेंगे।
- किसी कारणवश उक्त कार्य सम्पन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वह वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय अनुमति मिलने के पश्चात, इस न्यायालय को सूचित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
- रिमाण्ड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी सी.जे.एम. को लिखित सूचना देने एवं मुख्यालय अनुमति मिलने के उपरान्त ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।
- यदि इस बीच कोई **अतिरिक्त शासकीय** अवकाश घोषित होता है तो 1. मुख्यालय उमरिया में श्रीमती पल्लवी सिंह, 2. तहसील पाली में सुश्री पूजा गोले जेएमएफसी एवं 3. मानपुर में श्री अपूर्व मेहरोत्रा जेएमएफसी उक्त दिवस की रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे।

5. उक्त रिमांड ड्यूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने-अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

6. यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्य दिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता है तो संबंधित अवकाश को नियत की गई रिमांड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमांड ड्यूटी उस अनुसार की जावेगी।

7. रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जा सकता है।

नोट – माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार जिला स्थापना उमरिया में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण होने की दशा में जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालय मानपुर एवं पाली में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अथवा उनके अनुपस्थित होने पर मुख्यालय में जिस मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी है अथवा जो न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित है, उनके द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

दीपक कुमार अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 178(13)/C.J.M./2025

उमरिया दिनांक 24.03.2025

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया म0प्र0।
2. श्रीमती वीणा खलखो, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
3. श्री आशीष धुर्वे, जेएमएफसी उमरिया जिला उमरिया म0प्र0।
4. श्री मोहन डाबर, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
5. श्री राहुल सोनी, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
6. श्रीमती पल्लवी सिंह, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
7. श्री सरफराज खान, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
8. अपूर्व मेहरोत्रा, जेएमएफसी मानपुर जिला उमरिया म0प्र0।
9. सुश्री पूजा गोले जेएमएफसी बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया।
10. श्री गोपाल नंदन पाल, जेएमएफसी बिरसिंहपुर पाली जिला।
11. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जिला उमरिया म0प्र0।
12. निष्पादन लिपिक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया की ओर माननीय के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
13. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय उमरिया की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. जिला नाजिर उमरिया की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे रिमांड ड्यूटी के समय मेन गेट एवं न्यायालय कक्ष खुलवाये।

दीपक कुमार अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)